प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 08.07.2026

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 45,000 रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 05.07.2026 को थाना मसूरी पर वादी रिजवान द्वारा तहरीर दी गयी कि मैंने अपने रिश्ते के भांजे/ पूर्व वर्कर से अपनी फैक्ट्री खिचरा से अपने पार्टनर दानिश से 02 लाख 25 हजार रुपये मंगाये थे जिससे मोटरसाइकिल सवार 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा 02 लाख 25 हजार रुपये छीन कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धारा- 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्त नवेद, शादाब व फुरकान को दिनांक 06.07.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जिनसे लूट की घटना से संबंधित 01 लाख 67 हजार रूपये बरामद हुए थे ।

दिनांक 07.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त शोएब को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में लूटे गये 45 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं, नवेद, शादाब और फुरकान आपस मे अच्छे दोस्त हैं । हमारे दोस्त नवेद ने दिनांक 04/07/2026 को हमें बताया था कि मेरे रिस्ते के मामा मौ0 रिजवान का मेरे पर फोन आया है कि UPSIDC स्थित फैक्ट्री से मेरे पार्टनर दानिश से 02 लाख 25 हजार रुपये मसूरी ले कर जाने हैं । इतने पैसे सुनकर हमारे मन में लालच आ गया था और हमने आपस में बैठकर लूट की योजना बनायी । योजना के तहत नवेद अपनी मोटरसाइकिल से UPSIDC फैक्ट्री से 02 लाख 25 हजार रुपये लेकर आ रहा था । मैं, फुरकान, शादाब अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नवेद की रेकी कर रहे थे कि किसी को शक न हो और बांके बिहारी डेण्टल कॉलेज के पास पैसे लूटने की कहानी रची थी । मुझसे जो 45 हजार रुपये बरामद हुए हैं इसी घटना से संबंधित हैं बाकि पैसे मुझसे खर्च हो गये हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

शोएब पुत्र असलम निवासी आदर्श नगर गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़, हाल पता -खेडा फाटक के पास किराये का मकान कस्बा व थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण -

45 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम ।

PIT-NDPS ACT 1988 के अन्तर्गत अभियुक्तगण विभोर राणा व विशाल सिंह की निरूद्धि के सम्बन्ध में।

दिनांक 3/4.11.2025 की रात्रि में स्वॉट टीम अपराध शाखा व थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा मेरठ रोड़ स्थित मछली गोदाम परिसर में स्थित बरेली-गोरखपुर ट्रांसपोर्ट के गोदाम से कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनकी निशानदेही पर वहाँ खडे चार ट्रकों से कुल 1150 पेटी कोडीनयुक्त कफ सीरप बरामद किये गये। उक्त बरामद कफ सीरप में 850 पेटी Eskuf Cough Syrup तथा 300 पेटी Phensydyl Cough Syrup की थी। इसके अतिरिक्त मौके से 01 क्रेटा कार, 10 मोबाइल, सिम कार्ड, फर्जी मोहर आदि बरामद किये गये थे। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पर मु0अ0स0 691/2025 धारा 8/22/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट 1985 व 3(5), 318(4), 319(2), 336 (3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में विभोर राणा व विशाल सिंह पुत्रगण ठाकूर गजराज सिंह नि० म०नं0 2सी/2670 सहगल अस्पताल के पास शास्त्रीनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया। उक्त अभियुक्तगण को प्रश्नगत अभियोग में गिरफ्तार कर विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त अभियुक्त विशाल सिंह व विभोर राणा पेशेवर अपराधी है, जिनके द्वारा लम्बे समय से कोडीनयुक्त कफ सीरप की अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास निम्नानुसार है।

1. आपराधिक इतिहास- विभोर राणा

(1) मु0अ0स0 128/2020 धारा 147, 148, 188, 323, 332, 353 भादवि व 7 दंडविधि (संशोधन) अधिनियम 1932 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

(2) मु0अ0स0 182/2024 धारा 120बी, 201, 34, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ।

(3) मु०अ०स० 691/2025 धारा 8/22/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट व 3(5), 318(4), 319(2), 336(3) बीएनएस थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2. आपराधिक इतिहास-विशाल सिंह

(1) मु0अ0स0 182/2024 धारा 120बी, 201, 34, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ।

(2) मु0अ0सं0 691/2025 धारा 8/22/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट व 3 (5), 318(4), 319(2), 336(3) बीएनएस थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

उक्त अभियुक्तगण पूर्व से ही अवैध रूप से कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी में संलिप्त रहे है और इस बात की प्रबल सम्भावना थी कि सदर्भित अभियोग में जमानत मिलने के उपरान्त पुनः इस प्रकार के अपराध कारित करें, जिसका आम जनमानस में व्यापक स्तर पर दुष्प्रभाव पड़े। उक्त के दृष्टिगत रखते हुए आपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अपराध शाखा, कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1988 (PIT-NDPS) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तगण को निरूद्ध किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण को 12 माह तक निरूद्ध किया जा सकता है। **यह गाजियाबाद में विगत 10 वर्षों में PIT-NDPS ACT के अन्तर्गत की गयी प्रथम कार्यवाही है।**

यहाँ उल्लेखनीय है कि PIT-NDPS अधिनियन का उद्देश्य मादक द्रव्यों (Narcotic Drugs) और मनःप्रभावी पदार्थों (Psychotropic Substances के अवैध व्यापार (Illicit Traffic) में सलिप्त व्यक्तियों को निवारक निरोध (Preventive Detention) के माध्यम से रोकना है, ताकि वे भविष्य में ऐसी गतिविधियों न कर सकें। यह अधिनियम NDPS ACT 1985 से पृथक है। NDPS ACT 1985 में अपराध के लिए गिरफ्तारी, मुकदमा और दंड का प्रावधान करता है, जबकि पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम का उद्देश्य भविष्य में अवैध तस्करी को रोकना है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में **अपराध शाखा द्वारा उक्त अभियुक्तगण की लगभग 15 करोड रु0 की चल-अचल सम्पत्ति धारा 68 (ई), 68 (एफ) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अन्तर्गत फ्रीज की जा चुकी है।**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **08.07.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित

वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 08.07.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	**जोन**	**संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या**
1.	नगर	66
2.	ट्रांस हिण्डन	81
3.	ग्रामीण	75
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**222**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।